पत्र संख्या आई0टी0/ई.रजिस्ट्रेशन/2016–17/ 322/1617023 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0,
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 18 जुलाई 2016

समस्त
जोनल एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड–2 वि0अनु0शा0
ज्वाइण्ट कमि0(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर उत्तरप्रदेश।

जैसा कि आप को विदित है कि उत्तरप्रदेश की जनसंख्या एवं विकास के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या अत्यधिक कम है। देश के अन्य राज्यों में प्रति हजार जनसंख्या के सापेक्ष प्रदेश में प्रति हजार की संख्या के सापेक्ष पंजीकृत व्यापारियों की संख्या को देखते हुए अभी भी पर्याप्त सम्भावनाएं हैं तथा अभी और प्रयास किये जाने की सख्त जरूरत है। पंजीयन की स्थिति के सम्बंध में अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति से बैठकों में निरन्तर अवगत कराया जाता रहा है। उदाहरणस्वरूप प्रतिहजार जनसंख्या पर गुजरात में 7.57, कर्नाटक में 8.89, उत्तरांचल में 8.51 पंजीकृत व्यापारी हैं जबकि उत्तरप्रदेश में केवल 3.54 पंजीकृत व्यापारी हैं। उक्त आंकड़ों के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर 5.50 व्यापारियों के औसत से पंजीयन कराये जाने पर पंजीयन लक्ष्य सहज प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में डीलर डाटाबेस बढ़ाने हेतु कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1516041 दिनांक 29–09–2015 द्वारा पूर्व में ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) को विभिन्न विभागों से उनके यहां पंजीकृत व्यापारियों/प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त करने के विस्तृत निर्देश दिए गये हैं। परन्तु उनके अनुश्रवण पर पाया गया कि कतिपय जोन द्वारा न तो इस दिशा में अधीनस्थ अधिकारियों से प्रभावी अनुपालन कराया गया है और न ही अपने स्तर से उसका प्रभावी अनुश्रवण किया गया है।

2. मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1617002 दिनांक 12–04–2016 द्वारा निर्धारित पंजीयन के लक्ष्य को दोगुना कर दिया गया हैं। इस कारण युद्ध स्तर पर अपने जोन के नये व्यापारियों का चिन्हांकन करने की प्रभावी योजना बनाते हुए नया पंजीयन कराया जाये। इस सम्बंध में एफ0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर पंजीकृत व्यापारियों से मिलान करते हुए अवशेष अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने का कार्य शीर्ष प्राथमिकता से करते हुए 31–07–2016 तक पूर्ण कर लिया जाये। इस क्रम में पत्र संख्या एस0एस0–मासिक संग्रह समीक्षा/निर्देश 2016–17/269/वाणिज्य कर दिनांक 20–06–2016 द्वारा समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर तथा समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर प्रदेश को खाद्य सुरक्षा विभाग में व्यापारियों के पंजीकृत के सम्बंध में उपलब्ध आनलाइन डाटा उपलब्ध करा दिया गया है।

साथ ही बिल्डिंग मटेरियल में हो रहे करापवंचन को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन भवनों/अपार्टमेंट में कार्यरत ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से सूचना संकलित करते हुए अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

इसी के साथ–साथ प्रवर्तन इकाईयों द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों के सम्बंध में जमा कराये गये जमानत/अर्थदण्ड के सम्बंध में अभिग्रहण की धनराशि एक लाख से अधिक होने पर कन्साइनी का पंजीयन तथा कन्साइनी का पूर्ण पता उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ट्रासपोर्टर को व्यापारी मानते हुए पंजीकृत कराया जाये।

उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वंर्धित कर नियमावली के नियम 34(2)(a) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत व्यापारी के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड जो कि 60cmX30cm से कम न हो पर पंजीकृत व्यापारियों की टिन संख्या और उसकी प्रभावी तिथि अंकित करायी जाये जिसमें अक्षर एवं अंकों की ऊंचाई 6cm से कम न हो। इस प्रकार जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर टिन संख्या प्रदर्शित न हो रही उनको पोटेंशियल डीलर मानते हुये उनकी जॉच के उपरांत पंजीयन कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18/07/16.
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।